

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 29/12/2018.

क्रमांक 20850/630/आउशि/सम्बद्धता/18 :: महानिदेश राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन तथा मध्य प्रदेश में सत्र 2019-20 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/नवीन विषय प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

1. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (चारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शासित विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. सत्र 2019-20 की मार्गदर्शिका में वर्णित प्राक्तानों के अन्तर्गत आवेदक संस्था/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा प्रस्तावित/संचालित नवीन/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु एमओपीए ऑनलाईन के पोर्टल पर "ऑन-लाईन" आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिनांक 31/10/2018 तथा मिलर दुक सहित अंतिम तिथि 08/11/2018 निर्धारित की गई थी, उक्त तिथियों के अन्तर्गत प्रस्तुत "ऑनलाईन" आवेदन-पत्र जिले के अग्रणी शासकीय महाविद्यालय के माध्यम से अमिलेखों के साथ प्राप्त किये गये।

3. विधि पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है, तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने का उत्तरदायित्व बार कौंसिल ऑफ इंडिया का ही होगा। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

4. पारम्परिक पाठ्यक्रमों के लिये आवेदक संस्था यदि विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करती है तो उच्च शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गलत जानकारी के लिये आवेदक संस्था के प्राचार्य पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

5. संस्था द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/विषय/विषय को प्रारंभ करने तथा पाठ्यक्रमों की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों का परीक्षण किया गया।

6. संस्था से प्राप्त आवेदन-पत्र/दस्तावेजों, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन तथा मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में परीक्षण उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तावित/पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालय में सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है :-

क्रमांक	विन्दु क्रमांक	विवरण	स्थिति
1	विश्वविद्यालय का नाम	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	-
2	संस्था/ट्रस्ट/कंपनी का नाम	श्री सत्य साई ट्रस्ट, भोपाल	-

निर्देश-2

S. P. Singh

Principal
Sri Satya Sai College
for Women, Bhopal

3	अनुसूचित/संभावित अशासकीय महाविद्यालय का नाम	श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय, भोपाल	-
4	अनुसूचित नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.ए.एल.एल.बी. (चतुर्थ-वर्ष)	-
5	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	बी.ए.एल.एल.बी. (चतुर्थ-वर्ष)	-
6	मान्य नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरक	-
7	अमान्य नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय	निरक	-

8 शासन द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/01/2019 तथा विलंब शुल्क सहित अंतिम तिथि 15/02/2019 निर्धारित की गई है, एवं सम्बद्धता हेतु समयसीमा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये।

9 विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिचयन 27 एवं 28 के प्राक्तानों की पूर्ति कसयी जाये।

10 संपरीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान करने के लिये जारी किया जा रहा है।

11 अमान्य किये गये नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/कक्षा/विषय हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश के सम्बद्ध ऑनलाईन रिज्यू प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 01/01/2019 से 15/01/2019 निर्धारित है, इस अवधि में एन. पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर रिज्यू राशि 35,000/- (अपने पीटीसी हजार) केवल (वापसी योग्य नहीं) सहित ऑनलाईन रिज्यू दर्ज किया जा सकता है।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम वैधान्य रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कार्यव्यवस्था अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

1 क्रमांक 2981/530/आउशि/सम्बद्धता/18.

भोपाल, दिनांक 29/12/2018.

परिचयन :-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल ।
- 2- निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल (मोप्रो)।
- 3- निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल (मोप्रो)।
- 4- विशेष कार्यव्यवस्था अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ, भोपाल।
- 5- आतिथिक संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (मोप्रो)।
- 6- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (मोप्रो)।
- 7- प्राचार्य, शासकीय (अग्रणी) हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल (मोप्रो)।
- 8- अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, -संबंधित संस्था, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, मध्य प्रदेश।
- 9- विशेष कार्यव्यवस्था अधिकारी, उच्च शिक्षा (आई.टी. सेट), भोपाल की ओर विभागीय "वेबसाइट" पर अपलोड कराने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Principal
Sri Sathya Sai College
for Women, Jabalpur